

## कार्यकारी सार

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) में कई प्रावधान शामिल हैं जोकि विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित फार्म में 'लेखाकार' द्वारा जारी लेखापरीक्षा रिपोर्टों और प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना निर्धारितियों के लिए अनिवार्य बनाते हैं। अधिनियम के अन्तर्गत धारा 44एबी के अधीन कर लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए 1984 में शुरू की गई थी कि लेखाबही और निर्धारितियों के दूसरे अभिलेखों का उचित रूप से अनुरक्षण किया गया है और यह करदाता की वास्तविक आय को सही रूप से दर्शाते हैं। रिपोर्टिंग/प्रमाणीकरण का उद्देश्य कर परिहार्यता और कर अपवंचन को हतोत्साहित करना है।

यह अधिनियम, अधिनियम की धारा 288(2) की व्याख्या के अन्तर्गत 'लेखाकार' को सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत सनदी लेखाकार (सीए) के रूप में परिभाषित करता है। इस प्रकार, अधिनियम के अन्तर्गत सीए द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग और प्रमाणीकरण तीसरे पक्षकार द्वारा रिपोर्टिंग है। सीए को अधिनियम के प्रावधानों को सही प्रकार से लागू करने में आयकर विभाग (आईटीडी) के सहायक के रूप में माना गया है। उनके द्वारा जारी कर लेखापरीक्षा रिपोर्टें (टीएआर)/प्रमाणपत्र निर्धारणों के समय निर्धारण अधिकारियों (एओ) के लिए मूल्यवान मार्गदर्शक संदर्भ के रूप में कार्य करती है।

हमने यह देखने के उद्देश्य के साथ "निर्धारण कार्यवाहियों में तीसरे पक्षकार (सनदी लेखाकार) की रिपोर्टिंग के मूल्यांकन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा की कि क्या (क) सभी रिपोर्टें/प्रमाणपत्र निर्धारण के समय प्राप्त किए गए और उनको रिकार्ड में रखा गया; (ख) कर लेखापरीक्षा रिपोर्टें एओ को पर्याप्त और वांछित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण थी, जिससे उसे अधिनियम के अन्तर्गत यथा अपेक्षित निर्धारण पूरा करने में सहायता मिली, (ग) एओ ने निर्धारणों को पूरा करते समय जानकारी का मूल्यांकन और उपयोग किया था, (घ) लेखाकार की व्यावसायिक उपेक्षा के मामले में, मामले को आयुक्तों द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ उठाया गया और (ङ.) अधिनियम/रिपोर्टों के प्रावधानों में कमी या अस्पष्टताएं हैं।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 और लेखापरीक्षा की तारीख तक की अवधि के दौरान पूरा किए गए निर्धारणों को सम्मिलित किया गया है। प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के मामले, जहां आवश्यक पाया गया में पिछले निर्धारण वर्षों के निर्धारण अभिलेखों को भी देखा गया। जनवरी से मई 2014 तक की अवधि के दौरान नियमित लेखापरीक्षा के लिए चयन किए गए

सभी सर्कलों/वार्डों को चयनित यूनिटों के रूप में माना गया। चयनित यूनिटों में सभी संवीक्षा निर्धारणों, अपील और परिशोधन मामलों की लेखापरीक्षा में जांच की गई। हमने फरवरी 2014 में सीबीडीटी के साथ 'एन्ट्री' बैठक का आयोजन किया जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी।

हमने ऐसे मामले देखे (क) जहां सीए 367 मामलों में पूर्ण और सही जानकारी देने में विफल रहे जिसके कारण ₹ 2,813.11 करोड़ के करों का कम उदग्रहण हुआ और (ख) जहां एओ उनको दी गई 102 रिपोर्टों/प्रमाणपत्रों में उपलब्ध जानकारी का उपयोग करने में विफल रहे जिसके कारण ₹ 1,310.05 करोड़ के करों का कम उदग्रहण हुआ। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

क. कर लेखापरीक्षक 66 मामलों में मूल्यहास की अनुमति के संबंध में सही जानकारी देने में विफल रहे जिसमें ₹ 457.79 करोड़ के कर का कम उदग्रहण शामिल था (पैराग्राफ 2.3)।

ख. कर लेखापरीक्षकों ने अग्रेनीत हानि/मूल्यहास के संबंध में सही जानकारी नहीं दी जिसके परिणामस्वरूप 46 मामलों में अनियमित अग्रेनीत हानि/मूल्यहास अनुमत हुई जिसमें ₹ 557.79 करोड़ के कर का कम उदग्रहण शामिल था (पैराग्राफ 2.4)।

ग. 42 मामलों में व्यक्तिगत/पूंजीगत व्यय की गलत रूप से अनुमति दी गई थी क्योंकि कर लेखापरीक्षकों ने अपनी कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों में राशि की सूचना नहीं दी थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 477.89 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ (पैराग्राफ 2.5)।

घ. सीए ने ₹ 259.72 करोड़ के कर प्रभाव वाले 74 मामलों में विभिन्न छूटों और कटौतियों के लिए गलत जानकारी/दावों को प्रमाणित किया (पैराग्राफ 2.7)।

ङ. सीए ने ₹ 1,037.61 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 132 मामलों में टीएआर/प्रमाणपत्रों में गलत/अधूरी जानकारी दी (पैराग्राफ 2.8)।

हमें दूसरे 616 मामले भी मिले जहां सीए ने गलतियों की जैसे छूटों/कटौतियों की अनुमति में, धारा 115जेबी के अन्तर्गत बुक प्राफिट पर कर प्रभारित करना, आर्म्स लैन्ग्थ कीमत (एएलपी) अपनाना और ₹ 20,000 प्रतिदिन से अधिक के नगद भुगतानों की सूचना देना आदि (पैराग्राफ 2.6 और 2.10-2.12)। 109 मामलों में निर्धारितियों ने एएलपी के सत्यापन पर अपेक्षित फार्म 3सीईबी और बुक प्राफिट के प्रमाणीकरण से संबंधित फार्म 29बी प्रस्तुत नहीं किया था (पैराग्राफ 2.10-2.11)।

हमने मौजूदा फार्मों में कमी पर भी टिप्पणी की है जिनमें निर्धारितियों के मामलों की पूरी जानकारी के प्रग्रहण के लिए संशोधन की आवश्यकता है जिससे कि करों को सही रूप से लागू किया जा सके (पैराग्राफ 3.2-3.4)। सीए के कार्य की मॉनीटरिंग और कर लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के संबंध में आईसीएआई ने एक वित्तीय वर्ष में कर लेखापरीक्षा कार्यों की संख्या को सीमित करने के लिए इसके सदस्यों को मार्गदर्शन जारी किया है। हमने पाया कि नि.व. 2013-14 के लिए 18.87 प्रतिशत सीए (12,435 सीए) ने आईसीएआई द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक कर लेखापरीक्षा रिपोर्टें जारी की (पैराग्राफ 3.6)। हमने ऐसे मामले भी देखे जहां सीए ने अपनी सदस्यता संख्या का उल्लेख नहीं किया था (पैराग्राफ 3.7)। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 288 के अन्तर्गत व्यवसायिक उपेक्षा का कोई मामला दोषी सीए के प्रति कार्रवाई करने के लिए आईसीएआई को नहीं भेजा था (पैराग्राफ 3.9)।

सीए द्वारा विभिन्न प्रावधानों के अननुपालन पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष दर्शाते हैं कि इनके कारण सरकार को उचित प्राप्य प्राप्त नहीं होते। एओ भी लेखाकारों की रिपोर्टों/ प्रमाणपत्रों में उपलब्ध जानकारी का उपयोग करने में विफल रहे। सीबीडीटी ने निर्धारण के समय पर एओ द्वारा रिपोर्टों/प्रमाणपत्रों में उपलब्ध जानकारी के उपयोग पर जोर दिया है।

अपनी सिफारिशों में हमने निर्धारण कार्यवाहियों के समय पर कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों/प्रमाणपत्रों में उपलब्ध जानकारी का उपयोग करने के लिए आयकर विभाग को सुझाव दिया है। सीए द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमने व्यवसायिक उपेक्षा के मामलों को आईसीएआई को भेजने की सिफारिश की है। इसके अलावा हमने कर लेखापरीक्षा कार्यों की संख्या को सीमित करने के लिए अधिनियम में प्रावधान करने, आयकर विभाग प्रणाली में उचित नियंत्रण उपलब्ध कराने एवं ई-फाइलिंग के समय सीए की सदस्यता को प्रमाणित करने की भी सिफारिश की है (पैराग्राफ 3.11)।

अधिनियम में धारा 44एबी को 1984 में शुरू करने के पश्चात हमने 1997 (1997 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 12 का पैरा 3.2) और फिर प्रतिवेदन संख्या 2008 की पीए 7 में लेखाकारों द्वारा कर लेखापरीक्षा/प्रमाणीकरण की प्रणाली का मूल्यांकन किया था। दोनों लेखापरीक्षा रिपोर्टों में हमने निर्धारण कार्यवाहियों में एओ द्वारा जानकारी का उपयोग न करने और टीएआर/प्रमाणपत्रों में सीए द्वारा दी गई गलत जानकारी को इंगित किया। ये अनियमितताएं अब भी जारी हैं। इस प्रकार कर लेखापरीक्षा शुरू करने और लेखाकारों द्वारा प्रमाणीकरण का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। प्रत्येक वर्ष छोड़े हुए राजस्व में वृद्धि और कारोबार वातावरण की जटिल प्रवृत्ति के कारण लेखाओं का वास्तविक चित्रण एवं अधिनियम के अनुसार सरकार को देय करों को सुनिश्चित करने में लेखाकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करना आयकर विभाग और आईसीएआई की संयुक्त जिम्मेदारी है। निर्धारण कार्यवाहियों में तीसरे पक्षकार के प्रमाणीकरण पर आवश्यक नियंत्रण तंत्र को, यदि आवश्यक हो, अधिनियम में उपयुक्त प्रावधानों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।